न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी श्री जय सिंह (आर.ए.एस.)

अपील सं. 07 / 2024 दर्ज दिनांक–28.03.2024
जीएमएस नं. –2024 / 137

1. विरेन्द्र पंडित पुत्र स्व. श्री सावंलराम
2. गोपाल मारवाल पुत्र श्री गोविन्दराम
3. गौतम मारवाल पुत्र स्व. श्री गोविन्दराम
4. शरद मारवाल पुत्र स्व. श्री गोविन्दराम
5. संजय मारवाल पुत्र स्व. श्री गोविन्दराम
6. जितेन्द्र शर्मा पुत्र स्व. श्री सत्यनारायण
7. धीरेन्द्र शर्मा पुत्र स्व. श्री सत्यनारायण
8. दीपक शर्मा पुत्र स्व. श्री हरीराम
9. नगेन्द्र शर्मा पुत्र स्व. श्री हरीराम
10. पवन शर्मा पुत्र स्व. श्री हरीराम
11. श्यामा पत्नी स्व. श्री हरीराम
12. राजेन्द्र शर्मा पुत्र स्व. श्री राधेश्याम सभी जाति ब्राहमण निवासी ग्राम मोहब्बतसर तन चैलासी, नवलगढ़ तहसील नवलगढ़ जिला झुझुंनू हाल आबाद इन्दौर (मध्यप्रदेश) जरिये मुख्त्यारखास श्री रमाकान्त शर्मा पुत्र किशनलाल शर्मा जाति ब्राहमण निवासी हाल निर्मल विहार , दादी का फाटक ,बेनाड रोड झोटवाडा जयपुर

– अपीलान्ट

बनाम

1. सरपंच ,ग्राम पंचायत चैलासी पंचायत समिति नवलगढ , तहसील नवलगढ

–रेस्पोडेन्ट

वकील अपीलार्थी : – श्री विजेन्द्र सिंह दूत
वकील रेस्पोडेन्ट :– श्री दीपेन्द्र सिंह

अपील विरूद्व निर्णय ग्राम पंचायत चैलासी द्वारा नामान्तकरण सं. 1297 दिनांक 13.03.2024 को खारीज किया गया है, जिसको निरस्त करवाने बाबत् , अ0 धारा 75 राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956

:: निर्णय ::

निर्णय दिनांक 22.07.2024

आवेदक द्वारा अपील प्रा0 पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि, राजस्व ग्राम मोहब्बतसर तन चैलासी की सरहद में स्थित कृषि भूमि नया खाता सं. 259 की खसरा नं. 278 रकबा 1.27 है0,

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़ (झुन्झुनू)

खसरा नं. 300 रकबा 0.57 है0 , खसरा नं. 534/410 रकबा 0.10 है0 कुल रकबा 1.94 है0 (जिसमे सम्पूर्ण हिस्सा) एंव नया खाता सं. 258 की खसरा नं. 411 रकबा 1.13 है0 (जिसमे हिस्सा 87/113 रकबा 0.87 है0) उक्त दोनो खातो की भूमि कुल रकबा 1.94 है0+0.87 है0 कुल 2.81 है0 के सबंध में भरा गया नामान्तकरण संख्या 1297 दिनांक 13/03/2024 को रेस्पोडेन्ट ने गलत व विधि विरूद्व तरीके से खारीज किया है, जिसको निरस्त किया जाकर उक्त पैतृक कृषि भूमि का नामान्तकरण अपीलान्ट्स के पक्ष में भरकर तस्दीक करने बाबत् एंव खातेदारी दर्ज करने के लिये आदेशित किये जाने की कृपा करे।

अपील दर्ज रजिस्टर कि जाकर तलबी रेस्पोडेन्ट्स की जारी की गई। रेस्पोडेन्ट की और से वकील श्री दीपेन्द्र सिह जाखड उपस्थित।

बहस वकील उभय पक्ष पेश होने पर बगौर सुनी गई। वकील अपीलान्ट ने अपनी अपील में प्रस्तुत तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया गया कि ग्राम पंचायत चैलासी द्वारा निर्णय दिनांक 13/3/2024 गलत व विधि विरूद्व होने से निरस्त योग्य है। पंचायती राज विभाग व राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायत की बैठक हर महिने की 5 व 20 तारीख को आहुत करने के लिये तैय व निर्धारित कर रखी है, लेकिन ग्राम पंचायत चैलासी की मौजूदा सरपंच व उसके पति ने दिनांक 13/3/2024 को कानूनी प्रक्रिया को नजर अन्दाज करके गलत तरीके से अपीलान्ट के पक्ष मे भरा गया नामान्तकरण खारीज किया है। दिनांक 13/3/2024 को ग्राम पंचायत चैलासी की विशेष बैठक आहुत करने बाबत् ना तो कोई नोटिस जारी किये है। जिसे सात दिवस का नोटिस जारी किया जाना आवश्यक होता है। ग्राम पंचायत की विशेष बैठक के सबंध में सुनवाई बाबत् अपीलान्ट को कोई सूचना भी नही दी गई है। ग्राम पचांयत ने कोई प्रस्ताव पारित नही किया, ग्राम पंचायत ने क्या व कौनसी जॉच करवाई? उल्लेख नही है। उक्त नामान्तकरण किसी व्यक्ति विशेष को फायदा पहुँचाने के लिये व अपीलान्ट को हैरान परेशान करने के लिये खारीज किया गया है। इसलिये अपील स्वीकार की जावे।

वकील रेस्पोडेन्ट ने विपक्ष का विरोध करते हुये ग्राम पंचायत चैलासी का विशेष बैठक का नोटिस एसपी01 दिनांक 11/3/2024 की छाया प्रति पेश करते हुये कथन किया गया कि बैठक का आयोजन प्रोरोपर 48 घण्टे का नोटिस जारी व ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड इत्यादी पर चस्पा कर किया गया है। विशेष बैठक कि कार्यवाही रजिस्टर की छाया प्रति प्रस्तुत कर कथन किया की कार्यवाही विधिवत की गई है जिसमे सभी के हस्ताक्षर है। नामान्तरण बाद जॉच वार्डपंचों की टीम गठन करके व उनकी राय अनुसार खारिज किया है, जॉच दल गठन व फर्द जॉच रिपोर्ट की छाया प्रति पेश है। इसलिये ग्राम पंचायत द्वारा जो नामान्तकरण खारिज किये जाने का आदेश पारित किया है वह विधिसम्मत है। अतः अपील खारीज की जावे।

विद्वान वकुलान द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि, ग्राम के व्यक्तियों को इस बारे मे जानकारी नही थी, अपीलान्ट को नही जानते है। अपीलान्ट मध्यप्रदेश मे रहते है। अपीलान्ट को नही तो सुना गया है और न ही प्रोरोपर सूचना मिली है। जबकी ग्राम पंचायत को निर्णय पारित करने से पूर्व पक्षकारों को प्रोपर नोटिस/सूचना दी जानी आवश्यक थी। पक्षकारों को सुनवाई का कोई अवसर नही दिया गया है। ग्राम पचायत द्वारा पारित आदेश दिनांक 13/03/2024 पृथम दृष्ट्या ही विधि विरूद्व जाहिर होता है।

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़ (झुन्झुनू)

अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील पोषणीय व न्यायोचित होने से स्वीकार की जाकर, ग्राम पंचायत चैलासी द्वारा पारित आदेश 13.03.2024 बाबत् नामान्तकरण सं. 1297 को खारीज किये जाने का, निरस्त किया जाता है। तहसीलदार नवलगढ को निर्देशित किया जाता है कि, उक्त सम्बन्ध में सभी आवश्यक पक्षकारों कि विधिवत जॉच व सुनवाई करें तथा बाद जांच व सुनवाई विधिसम्मत पाये जाने पर ही नामान्तकरण भरा जावे तथा तद्नुसार ही राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे।

उक्त आदेश की पालना हेतु तहसीलदार नवलगढ़ को पृथक से तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम हो बाद तकमिल जाप्ता दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 22.07.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़
जिला–झुझुंनू